वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 86/2025 *दिनांक- 07.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-07.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

प्रेस-नोट

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा-2025 में प्रधानाचार्या सहित नकल कराने वाले गिरोह के 06 सदस्य जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गम्भीरपुर से गिरफ्तार।

दिनांकः 06-03-2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उ0प्र0 माध्यमिक षिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा-2025 में प्रधानाचार्या सहित नकल कराने वाले गिरोह के 06 सदस्य जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गम्भीरपुर से गिरफ्तारकरने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1-श्रीमती बबिता तिवारी, प्रधानाचार्या पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर। जनपद आजमगढ।(प्रधानाचार्या)
2-नवनीत राय पुत्र निखलेश राय निवासी भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
3-राधेश्याम पुत्र रामप्रकाश सरोज निवासी उत्तर गांवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
4-शीतल तिवारी पुत्री प्रमोद तिवारी निवासी मुडहर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।(सॉल्वर)
5-निधि पुत्री रविन्द्र प्रसाद निवासी मेहरो थाना देवगांव जनपद आजमगढ। (सॉल्वर)
6-धर्मलेश सरोज पुत्र दिलराम सरोज निवासी मुडहर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ। (जनसेवा केन्द्र संचालक)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांकः-

पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़। दिनांक 06-03-2025

बरामदगीः-

1-03 अदद मोबाइल फोन।
2-05 अदद प्रवेश पत्र।
3-04 अदद कूटरचित आधार कार्ड।
4-06 अदद इण्टरमीडिएट भौतिक विज्ञान का प्रश्नपत्र।
5-07 अदद परीक्षा कापी।

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदो में दिनांक 24-02-2025 से प्रारम्भ हुयी बोर्ड परीक्षाओं मे अवैध वसूली के माध्यम से सामूहिक नकल कराने वाले नकल माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के उत्तर प्रदेष, शासन द्वारा निर्देषित किया गया था। जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना सकंलन एवं कार्यवाही प्रचलित थी। इसी क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा भी अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 06-03-2025 को निरीक्षक पुनीत परिहार एवं निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम वाराणसी जनपद आजमगढ़ में भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 06-03-2025 द्वितीय पाली में इण्टरमीडिएट के भौतिक विज्ञान की परीक्षा है। उक्त परीक्षा में पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ में प्रधानाचार्या द्वारा परीक्षा कक्ष में कुछ परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वरों को बैठाकर कापी लिखवायी जा रही है, जिसके लिये छात्रों से भारी धनराषि वसूली गयी है।

प्राप्त सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद आजमगढ, श्री हरिशंकर दूबे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं श्री बसंतलाल, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को साथ लेकर उक्त विद्यालय में सम्बन्धित परीक्षा कक्षों में चेकिंग की गयी तो उपरोक्त सॉल्वरों को दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठकर कापी लिखते हुये पाया गया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या एवं परीक्षार्थियों के आधार कार्ड के फोटो के स्थान पर सॉल्वरों का फोटो लगाकर कूटरचित आधार कार्ड तैयार करने वाले जनसेवा केन्द्र संचालक धर्मलेश सरोज उक्त को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 24-02-2025 से यू0पी0 बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रारम्भ है। पं0 कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, मुडहर ठेकमा, गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रबंधक विजय तिवारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती बबिता तिवारी को उक्त कालेज का प्रधानाचार्य बनाया गया है। इनके द्वारा अपने विद्यालय में नकल करवायी जा रही थी। परीक्षा केन्द्र के अन्दर कक्ष में सॉल्वर के माध्यम से कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 20 हजार रूपये एवं परीक्षा केन्द्र के बाहर कापी लिखवाने का प्रति परीक्षार्थी 50 हजार रूपये संबंधित परीक्षार्थियों से वसूला गया था। इस प्रकार इन लोगों द्वारा लाखों रूपये वसूला गया है। इनके द्वारा जनसेवा संचालक धर्मलेश सरोज को भी अपने योजना में शामिल कर लिया गया था। धर्मलेश सरोज द्वारा अपने जनसेवा केन्द्र पर संबंधित परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में उनके फोटो के स्थान पर सॉल्वरों के फोटो को लगाकर नया आधार कार्ड बना दिया गया था। परीक्षार्थी अनिल कुमार पुत्र संतलाल निवासी भैंसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ डुप्लीकेट कापी लेकर अपने परीक्षा कक्ष में बैठा था और उसकी कापी परीक्षा केन्द्र से लगभग 100 मीटर दूर राजू सरोज एवं संजय सरोज पुत्रगण महेन्द्र सरोज निवासी मुडहर ठेकमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ के घर पर सॉल्वर से लिखवायी जा रही थी। विशाल राय उर्फ शोले एवं निलेश तिवारी उर्फ छोटू स्कूल से कापी बाहर ले जाकर सॉल्वर के माध्यम से लिखवाते थे और लिखवाने के बाद कापी स्कूल में जमा कराते थे।

उल्लेखनीय है कि उक्त इण्टर कॉलेज का प्रबंधक विजय तिवारी थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ का रजिस्टर्ड हिस्ट्रीशीटर है और इसके कई स्कूल/कॉलेज है। प्रबन्धक विजय तिवारी के एवं वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

इस सम्बन्ध में थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 71/25 धारा 318(4),338,336(3),340 (2)बीएनएस व 8,9,13 (5)उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

02.थाना-देवगाँवः-गोकशी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 16.02.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे सूचना मिली की ग्राम सरांय नरसिंहपुर पोखरे के पास झाड़ियों में प्रतिबंधित पशु का कुछ अवशेष, खून एवं रस्सी की कुछ टुकडे पडे मिले हैं तथा वहाँ पर एक मोटर साइकिल UP 66 AE 6952 भी खडी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 59/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 06.02.2025 को उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बच्चा उर्फ गोविन्द पुत्र लालचन्द्र सा0 नरसिंहपुर थाना देवगाँव आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष को हाईडिल तिराहे के पास से समय करीब 21.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मै व मेरे साथी राजकुमार पुत्र स्व0 लालमुनी, किशोरी पुत्र बैजू व सुनील पुत्र मेवालाल एक प्रतिबंधित पशु पकड़ कर ला रहे थे। जिसको रास्ते में अकोल्ही में लोगों ने रोका था परन्तु हम लोग लेकर गांव पर चले आये और लोगों में शोर न हो इसलिए जल्दी से हम लोग ले जाकर गांव के पास स्थित पोखरे के पास गोकशी किये तथा मांस व सभी अवशेषों को अलग अलग बोरे में भरकर एक मोटर साइकिलों से चले गये। एक मोटर साइकिल जो मेरे साथी राजकुमार द्वारा मांग कर लाया गया था वह मौके पर जल्दीबाजी में पोखरे के पास ही छूट गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 059/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

बच्चा उर्फ गोविन्द पुत्र लालचन्द्र सा0 नरसिंहपुर थाना देवगाँव आजमगढ तथा उम्र करीब 26 वर्ष

प्रेस-विज्ञप्ति

एडीजी वाराणसी जोन वाराणसी महोदय ने अभियुक्त रईस पुत्र इश्तियाक निवासी कौरागहनी सरायमीर जनपद आजमगढ़ व इसके 03 सदस्यों को जनपद आजमगढ़, जौनपुर एवं अयोध्या में गोकशी हेतु प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में (आई0 आर0-46 गैंग) के रूप में किया सूचीबद्ध

दिनांक- 07.03.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन महोदय, वाराणसी, श्री पीयूष मोर्डिया द्वारा अभियुक्त रईस पुत्र इस्तियाक निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 40 वर्ष द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़, जौनपुर व अयोध्या में हत्या व गोकशी हेतु प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को आई0 आर0 (इन्टर रेन्ज) स्तर पर "सूचीबद्ध" किया गया है। इसका कोड नं0- "आई0 आर0- 46" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

01.गुड्डू उर्फ अनीस पुत्र इस्तियाक निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 39 वर्ष

02.शमीम पुत्र तसौव्वर निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 35 वर्ष

03.सोहराब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ नाटे निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 44 वर्ष

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.03.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर ***जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया।

थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को** जुर्म स्वीकृत के आधार पर ***जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया।

➡दिनांक- 27.09.2017 को वादी मुकदमा राकेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध कारित करना।**

➡अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 245/2017 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 07.03.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ **को** जुर्म स्वीकृत के आधार पर ***जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया।